संयुक्त निरिक्षण आख्या

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0–731 के (कि0मी0 175.380 से 183.380) पीलीभीत रेंज सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि के बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में (कि0मी0 70–80) पर बाधक वृक्षों की गणना एवं नपत कार्यवाही संस्था के परियोजना सलाहकार श्री सोहेव अली सैयद कर्यदाई संस्था के प्रतिनिधि श्री रौनक श्रीवास्तव साईट इंजीनियर परियोजना कार्यन्वयन इकाई शाहजहाँपुर सहायक वन संरक्षक/प्रभारी क्षेत्रीय वनाधिकारी, पीलीभीत रेंज श्री सतेन्द्र कुमार, श्री देवऋषि सक्सेना उपरजिक तथा श्री गौरव कुमार वनरक्षक के द्वारा दिनांक– 31.जुलाई.2024.. को संयुक्त रूप से मौका मुयायना कर की गई उक्त मार्ग पर रेंज क्षेत्र अन्तर्गत वाई पटरी पर विभिन्न प्रजातियों के 854 वृक्ष तथा दाई पटरी पर विभिन्न प्रजातियों के 598 वृक्ष कुल 1452 वृक्ष बाधक हैं, चिन्हित किये गये है।

उक्त मार्ग के चौड़ीकरण मे संरक्षित वन भूमि पर विभिन्न प्रजातियों की पौध दायी पटरी 950 एवं बायी पटरी 517 कुल 1467 पौधे बाधक पाये गये, जिनकी सूची प्रथक से बना कर संलग्न की जा रही है।

इस परियोजना हेतु पीलीभीत रेंज अन्तर्गत कुल 44.376 है0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और प्रस्तावित वन भूमि की मांग योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या कारवाही हेतु अग्रेषित।

Sayed	R. Suitew			31/7/24
(सोहेब अली सैयद)	(रौनक श्रीवास्तव)	(देवऋषि सक्सेना)	(गौरव कुमार)	(सतेन्द्र कुमार)
परियोजना सलाहकार	साईट इंजीनियर	उप क्षेत्रीय वनाधिकारी	वन रक्षक	क्षेत्रीय वनाधिकारी
सोहेव अली सैयद परियोजना सलाहकार				क्षेत्रीय वनाधिकारी पीलीभीत रेंज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

संयुक्त निरिक्षण आख्या

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर के कार्यालय के पत्रांक NO.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/230 दिनांक 14/01/2021 के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH/731K (KM 137.250 से 183.380) के शाहजहाँपुर से पीलीभीत [illegible] तक के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि से बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में [illegible] संरक्षित वन भूमि मार्ग पट्टी (KM 43-71) पर बाधक वृक्षों की गाडना एवं नपत कार्यवाही संस्था के परियोजना सलाहकार श्री सोहैब अली सैयद कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि श्री रौनक श्रीवास्तव साईट इंजीनियर परियोजना कार्यन्वयन इकाई शाहजहाँपुर के उपस्थित होने के उपरान्त उनके साथ क्षेत्रीय वनाधिकारी श्री वजीर हशन बीसलपुर रेंज श्री अवनीश सिंह उप क्षेत्रीय वनाधिकारी श्री सुरेश पाल वर्मा वन दरोगा एवं [illegible] सिंह दिवाकर, श्री इकबाल वन रक्षक बीसलपुर के द्वारा दिनांक – .... को संयुक्त रूप से मौका मुआयना कर वृक्षों की नपत एवं गड़ना की गई | उक्त मार्ग के अंतर्गत प्रभावित होने वाले मध्य मार्ग बाईं पटरी पर विभिन्न प्रजातियों के 7289 तथा दाईं पटरी पर विभिन्न प्रजातियों के 7611 वृक्ष मार्ग चौडीकरण में कुल 14900 वृक्ष बाधक है.

उक्त मार्ग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले मध्य मार्ग बांयी तथा दांयी पटरी पर विभिन्न प्रजातियों के कुल पौध (Plantation) 3770 मार्ग चौड़ीकरण में बाधक है.

उक्त मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले संरक्षित वन भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के प्राकृतिक पौध दांयी पटरी 2149 एवं बांयी पटरी 2689 इस प्रकार कुल पौध 4838 बाधक पाये गये, जिनकी [illegible] नक्शे में बना कर [illegible] की जा रही है |

इस परियोजना हेतु 44.376 हे० वन विभाग का संरक्षित क्षेत्र है | सम्यक विचारोपरान्त [illegible] प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और प्रस्तावित वन भूमि का [illegible] की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है |

अपेक्षा अनुसार संयुक्त निरिक्षण आख्या कार्यवाही हेतु अग्रेषित |

Sayed
सोहैब अली सैयद
परियोजना सलाहकार

R. Srivastava
Site Engineer
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit
Shahjahanpur

वजीर हशन
क्षेत्रीय वनाधिकारी
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बीसलपुर (पीलीभीत)

अवनीश सिंह
उपक्षेत्रीय
वनाधिकारी

सुरेश पाल [illegible]
वन दरोगा

विक्रम सिंह दिवाकर
वन रक्षक

Iqbal
इकबाल
वन रक्षक

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

204